तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुक्म की नकल दे जाने

पेश नहीं करना चाहता है अतः वाद खारिज किया जाता है। वकील वादी श्री बहादुर सिंह ने प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी में वाद पत्र के पेश न। के अलावा वाद हेतु हिस्से के अनुसार विभाजन की बाबत दो वर्ष

वकील वादी श्री बहादुर सिंह की प्रार्थना पर आज्ञप्ति डिक्री का अन्तिम किया गया।

आदेश दिया जाता है कि ग्राम मालपुरा, पटवार हल्का, तहसील के अ.नं. 1, 2 व 3 वादी का 16 हिस्सा। प्रतिवादी का 7/12 हिस्सा प्रतिवादी से 02 से 05 का दर हिस्सा है। वादी प्रतिवादीगण। से 5 व्यक्ति के हिस्से के मिश्रण बाटवारा के अनुसार किया जावे। प्रश्नगत भवन डिक्री जारी कर तहसीलदार को बटवारा प्रस्ताव प्रस्ताव मंगवाया जाने हेतु दिनांक 15.5.15 को पत्र है।

26.6.15 पत्रावली दौरे दौरान तहसील पर पेश। तहसीलदार से बटवारा प्रस्ताव प्राप्त किये स्वीकार किया जाता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम मालपुरा की आराजी जिसका विवरणानुसार राजस्व रेकार्ड में संधारण करें।

(1) श्री घीसालाल पिता हजारी ना. जोगी, श्री अमरचंद अ.नं. 1, 2, 11 रकबा 0.14 लगान 0.25

(2) सामरी पत्नी मोहन 40 मोहनलाल, घीसालाल, जवाला नाम पिता मांगुनाथ, सोहनी कोला मांगुनाथ 1/4 अ.नं. 1, 2 रकबा 2.18 किस्सा लगान 4.30

डिक्री जारी होकर तहसीलदार को पालना हेतु भिजवावे।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली दौरान शुमार होकर नम्बर अ बाम है।

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मांडल